बर ...लय उपखण्ड ... कठूमर जिला अलवर

...ख

...o. 1/349/22 तारीख रजू.............................

ता का ... तारचन्द बनाम भीमसिंह कोगा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.11.22	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वादी वकील श्री भवानी शंकर शर्मा एड० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण जरिये समन रजि० डाक से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
22/12/22	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री कुलभूषण अलिवा एड० ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया शामिल मि० किया व प्रतिवादी संख्या 3, 5 से 7 की ओर से श्री अजय अवस्थी एड० ने वकालतनामा पेश किया जवाब को समय चाहा गया। एवं प्रति० संख्या 1 ने प्रा०पत्र 07 R11 CPC पेश की पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा०पत्र 07 R11 CPC दिनांक 06/1/23 को पेश हो। हस्ता०	
6/1/23	वकील ....उपस्थित। आदेश दिनांक 22/12/22 की पालना में पत्रा० भी वास्ते जवाब/बहस प्रा०पत्र 07R11cpc दिनांक 27/1/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

11/12/23 पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र O 7 R 11 CPC पर बहस पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 18/12/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

18/12/23 पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। वास्ते आदेश दिनांक 19/12/23 को पेश हो।

SDM
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

19/12/23 पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी का प्रा० पत्र O 7 R 11 CPC साबित होने से स्वीकार किया जाता है एवं प्रा० पत्र O 7 R 11 CPC स्वीकार होने के कारण दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर हस्ता० किया गया। पत्रावली मौ मल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला प्राविष्टि रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया।

SDM
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी–सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

प्रकरण संख्या1 / 349 / 2022

वउनवान

1. ताराचन्द पुत्र भगवान जाति ब्राहमण निवासी दारौदा तहसील कठूमर
——वादी

बनाम

1. भीमसिंह पुत्र सोहनलाल जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
2. मंगतू पुत्र जौहरी जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
3. कमलेश पुत्र मंगतू जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
4. जवाली पुत्री चन्दर जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
5. प्रेम पुत्री मंगतू जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
6. हरिसिंह पुत्र मंगतू जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
7. सोमोती पत्नी मंगतू जाति माली निवासी दारौदा तहसील कठूमर
8. तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0

उपस्थित–श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट–अधिवक्ता वादी

श्री सुभाषचन्द''अर्रूवा''शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

आदेश दिनांक 19.12.2023

प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने अपने दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी में विवादित आराजी के सहखातेदार सीयाराम, ताराचन्द, टीकम, दयाचन्द, महेन्द्र तथा प्रतिवादी सं0 1 के भाई मोरध्वज, विनयसिंह, समयसिंह व योगेश, मेघश्याम, दयाली, जगदीश, उमेश तथा हुकम पुत्र बसन्ती के वारिस संतोश, राजेश, निरंजन, नेमीचन्द, पिंकी को पक्षकार नहीं बनाया है। तकसीम के दावा में दावा में वर्णित आराजी के सभी सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना कानूनन जरूरी है। जिस कारण वाद वादी नोन जोइण्डर ऑफ नेसेसरीज पार्टी की तारीफ में आने से कानून से प्रतिबन्धित है। दाबान्तर्गत वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार माह जून 2019 से न्यायालय श्रीमान के आदेश से तहसीलदार कठूमर के कब्जे में है यानि कब्जे राज है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

जिन तथ्यों को वादी ने छुपाया है। विवादित आराजी पर वादी अथवा अन्य पक्षकार का कोई कब्जा नहीं है बल्कि सरकार के कब्जे में है। वादी ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा बताकर दावा तकसीम न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी कानून से प्रतिबन्धित होने से खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रार्थना पत्र की नकल वादीअधिवक्ता को दिलाई गई। वादीने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि दावा हाजा पेश करते समय सहखातेदारान को टाइपिंग भूल से सहवन से पक्षकार बनाना रह गया जिसकी जानकारी वादी को उस समय नहीं थी। वादी ने जान वूझ कर कोई गलती नहीं की है बल्कि भूलवश पक्षकार बनाने से रह गये है। जिसके लिये वादी ने प्रथक से प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 जा0दी0 का पेश कर दिया है। विवादित आराजी इस समय कब्जे राज है तथा कानूनन वादी विवादित आराजी का अपने हिस्से का वंटवारा कराने का अधिकारी है एंव कब्जे राज होने से वंटवारा का वाद प्रभावित नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि वादी ने दावा मे विवादित आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है जवकि तकसीम के दावा में सभी सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है। इस वजह से वाद वादी कानून से प्रतिबन्धित होने से खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीने वहस करते हुये अपनी वहस में कथन किया कि विवादित आराजी के सहखातेदारान भूल से पक्षकार बनने से रह गये जो एक किलेरीकल मिस्टेक है। जानकारी होने पर वादी ने प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 का पेश कर दिया है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र वादी के जवाव प्रार्थना पत्र व पत्रावली के तथ्यों का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया।

आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र निम्न तीन विन्दुओं पर पर तय किया जावेगा।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

1. वादी द्वारा वाद पेश करते समय विवादित आराजी को सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी बताया है जबकी उक्त विवादीत आराजी बर्ष 2019 से न्यायालय हाजा के आदेश से तहसीलदार कठूमर को कब्जेराज है जिन तथ्यों को वादी ने छुपाया है विवादीत आराजी पर अथवा अन्य पक्षकारान् का कोई कब्जा नही है। बल्की सरकार का कब्जा है वादी ने विवादीत आराजी पर अपना कब्जा बताकर दावा तकसीम पेश किया है जो वाद वादी द्वारा (Cause of Action)प्रकट नहीं होता।

2. जहां वाद उचित कोर्ट फीस (Court Fee) प्रकट नहीं करता हो।

3. प्रतिवादी सं0 1 ने अपने प्रार्थना पत्र व अपनी वहस में कथन किया कि वादी ने विवादित आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जवकि तकसीम के दावा में सभी सहखातेदारान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना जरूरी होता है इस वजह से दावा वादी कानून से बाधित है जो खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के जवाव व अपनी वहस के दौरान यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी के अन्य साझीदार भूल से दावा हाजा में पक्षकार बनने से रह गये। जो एक किलेरीकल मिस्टेक है। हमने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी के अवलोकन से यह सही है कि दावा के प्रतिवादीगण के अलावा विवादित आराजी के और साझीदार है जिनको वादी ने पक्षकार नहीं बनाया लेकिन इसे भूल से प्रतिवादीगण की श्रंखला में नहीं जोडना नहीं माना जा सकता। चूँकि वादी द्वारा दावा, दावा में संलग्न जमाबन्दी से लिखाया गया है तथा जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के अलावा अन्य साझीदार अंकित है। कानूनन तकसीम के दावा में सभी साझीदारान को पक्षकार बनाया जाना जरूरी होता है। सभी साझीदारान को पक्षकार बनाये विना तकसीम कर दावा चल सकता है इसके लिये वादी ने कोई कानूनी नजीर पेश नहीं की है। इस वजह से दावा वादी कानून से प्रतिबन्धित पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 प्रतिवादी सावित होने से स्वीकार किया जाकर दावा वादी कानून से प्रतिबन्धित होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 19.12.2023 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार [illegible]यां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.